

राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दाप्तिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 16663/2016

बदामी देवी पत्नी श्री पीरु, उम्र 95 साल, जाति चीता, निवासी मोती पुरा, पुलिस थाना मसूदा, जिला अजमेर, राजस्थान ।

-प्रार्थी/अभियुक्तगण

-: बनाम:-

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक | --अप्रार्थी

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा - 438 दं.प्र.सं.  
प्र. सू. रि. संख्या-206/2016, पुलिस थाना मसूदा, अजमेर  
अन्तर्गत धारा-420,406,467,468,471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री मनोज शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त ।  
 श्री आर.आर. गुर्जर, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आदेश

दिनांक :-22.12.2016

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक को जमानत आवेदन-पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवायी गयी सामग्री तथा विशेष रूप से प्रार्थीया की वर्तमान आयु तथा वृद्धावस्था तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस घटना में प्रार्थी, जो कि एक महिला है, की कोई विशिष्ट भूमिका प्रकट नहीं की गई है तथा सह अभियुक्तगण को सह पीठ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत की सुविधा प्रदान की गई है, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुण दोष पर कोई अंतिम राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी पुलिस थाना- मसूदा, अजमेर को निर्देश दिया जाता है कि वह उनके यहां पंजीबद्व प्रथम सूचना संख्या-206/2016 में प्रार्थी/अभियुक्त बदामी देवी पत्नी श्री पीरु को गिरफ्तार किये जाने की सूत में यदि प्रार्थी उनके संतोष अनुसार रूपये 50,000/- (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व रूपये - 25,000- 25,000/- की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत कर दें तो उसे जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावें:-

1. याची पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. याची प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
- 3.याची बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(न्या० प्रशान्त कुमार अग्रवाल)